मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/202 **भोपाल, दिनांक** 14/06/**2024**

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे अधिसूचित कृषि उपज की नियमन व्यवस्था अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से "मंडी समितियो के लिये लागू उपविधि सन 2000" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/06/2024 तक उपविधि में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें।

मंडी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किए गए समझे जाएंगे और तदुपरांत संशोधन दिनांक 30/06/2024 से मंडी समिति पर आबद्धकर होंगे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (पृष्ठ क्रमांक 03 से 04 **तक)।**

13/06/24

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 203 **भोपाल, दिनांक** 14 /06/**2024**

प्रतिलिपि

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।

4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

5. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति __________ जिला __________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।

6. विधि शाखा/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संशोधित प्ररूप

प्ररूप – आठ (8)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी समिति

____________________ जिला ____________________

संबंधित का
पासपोर्ट साइज़
फोटोग्राफ

तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति / हम्माल अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक ____________________
दिनांक _____/_____/__________

श्री/ श्रीमति/ कुमारी ________________________________(पूरा नाम), ________________________________(पूरा पता) को दिनांक _____/_____/__________ को **तुलैया अथवा तुलावटी / हम्माल* कृत्यकारी** के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत / नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत / नवीकृत दिनांक से **तीस वर्ष की अवधि तक <u>अथवा अनुज्ञप्तिधारक की अधिकतम आयु 62 वर्ष की अवधि तक (इनमें से जो भी पहले हो)</u>** अर्थात दिनांक _____/_____/__________ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,
__________जिला__________

*जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाए गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत प्रतिभूति/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यो में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
   - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिए जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जाएगी।
   - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।